

पुराने ऐनी बनाम राज० सरकार
153/2025

[2025/5]

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज ग्रा.पत्र अन्वर्तित धारा 136 LR Act.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
10 ¹¹ / ₂₅	पत्रावली पेश हुई। ग्राफी उप०। प्रकरण में तहसीलदार बाँधीकुई के पत्रांक 03 दिनांक 16/10/25 द्वारा प्रेषित रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई। ग्राफी द्वारा बहस की गयी। बहस पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों, तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन किया। अतः ग्राफी ^{की गई} बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर ग्राफी द्वारा प्रस्तुत ग्रा.पत्र बाबत नाम शुद्धिकरण स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय प्रत्येक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। ग्रा.पत्र कैसलथुमार होकर बाद तणमील दाखिल दफ्तर हो।  उप जज अधिकारी बाँधीकुई (रोहा)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.) बांदीकुई जिला दौसा

प्रकरण संख्या 153/2025

प्रकरण दायर दिनांक 10.11.2025

प्रकरण निर्णय दिनांक 10.11.2025

उनवान

1. पूरण सैनी पुत्र श्री गोविन्द सैनी निवासी शिशावाली कोठी, धांधोलाई तहसील बांदीकुई।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बांदीकुई जिला दौसा

प्रार्थना पत्र बाबत नाम शुद्धिकरण अन्तर्गत धारा 136 राज0काश्त0 अधिनियम

प्रार्थी द्वारा विरुद्ध अप्रार्थी प्रार्थना पत्र नाम दुरुस्ती इन्द्राज इस आशय से पेश किया है कि ग्राम धांधोलाई तहसील बांदीकुई जिला दौसा की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 35, 64, 65, 66, 67, 92 एवं ग्राम खेडा की जमाबंदी संवत् 2076-79 के खाता संख्या 69 में प्रार्थी का नाम पून्या पुत्र गोविन्दा दर्ज रिकॉर्ड है, जो कि गलत है। प्रार्थी का शुद्ध नाम पूरण सैनी पुत्र गोविन्द सैनी है। प्रार्थी का नाम अन्य समस्त दस्तावेजात यथा आधारकार्ड, पेनकार्ड, जनाधारकार्ड, पहचानपत्र में पूरण पुत्र गोविन्द दर्ज है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त खाता संख्या में दर्ज नाम को शुद्ध करने की कृपा करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार बांदीकुई से रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया। तहसीलदार बांदीकुई की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी पूरण पुत्र गोविन्द जाति माली निवासी शिशावाली कोठी धांधोलाई तहसील बांदीकुई के नाम की मजमेआम में जांच की। मजमेआम में उपस्थित व्यक्तियों व सहखातेदारान ने बताया कि ग्राम धांधोलाई के राजस्व रिकॉर्ड संवत् 2074 के खाता संख्या 35, 64, 65, 66, 67, 92 एवं ग्राम खेडा की जमाबंदी संवत् 2076-79 के खाता संख्या 69 उक्त में प्रार्थी का नाम पून्या पुत्र गोविन्दा दर्ज रिकॉर्ड है। जबकि प्रार्थी के अन्य दस्तावेजों जैसे पेनकार्ड, आधारकार्ड, जनाधारकार्ड, मतदाता पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम पूरण पुत्र गोविन्द दर्ज है। प्रार्थी अब राजस्व रिकॉर्ड में भी अपना नाम पूरण पुत्र गोविन्दराम शुद्ध करवाना चाहता है। उपस्थित व्यक्तियों व सहखातेदारों ने बताया कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज पून्या पुत्र गोविन्दा व पूरण पुत्र गोविन्दराम दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है। प्रार्थी को पून्या पुत्र गोविन्दा व पूरण

24/11



पुत्र गोविन्दराम दोनों नामों से जाना एवं पहचाना जाता है। उपस्थित लोगों ने बताया कि राजस्व रिकॉर्ड में पून्या पुत्र गोविन्दा की बजाय पूरण पुत्र गोविन्दराम शुद्ध किया जाता है तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अतः मुताबिक दस्तावेजों एवं सहखातेदारों की सहमति के प्रार्थी का नाम पूरण पुत्र गोविन्दराम किया जाना उचित है।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात, प्राप्त जांच रिपोर्ट के अवलोकन से राजस्व जमाबंदी में प्रार्थी का नाम पून्या सहवन से कारित होना प्रतीत होता है, जबकि प्रार्थी का सही नाम पूरण है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः तहसीलदार बांदीकुई से प्राप्त रिपोर्ट, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व दस्तावेज का अवलोकन एवं स्वयं प्रार्थी की बहस पर मनन करने के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र बाबत नाम शुद्धिकरण अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम धांधोलाई के राजस्व रिकॉर्ड संवत् 2074 के खाता संख्या 35, 64, 65, 66, 67, 92 एवं ग्राम खेडा की जमाबंदी संवत् 2076-79 के खाता संख्या 69 में प्रार्थी का नाम पून्या पुत्र गोविन्दा के स्थान पर पूरण पुत्र गोविन्द किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार बांदीकुई तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत अमल दरामद करे। तहसीलदार बांदीकुई को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 10.11.2025 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

रामसिंह राजावत

(रामसिंह राजावत)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई